तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/1/25	पत्रा. पेश हुई - अनुसंधान अधि/ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] स्वीकार किया जाकर प्रकरण [illegible] खारिज किया जाता है। आदेश प्रस्तुत से [illegible] मिलाया जाकर [illegible] पत्रा. फैसल शुमार होकर [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:53 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मजिस्ट्रेट
[illegible] जिला [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 157/2022

जीसीएमएस न. 2022/00252

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक 14.01.25

मूर्ति मंदिर श्री बिहारीजी वगै0 बनाम कैलाश वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.व मुकदमे मूर्ति मंदिर श्री बिहारीजी वगै0 बनाम कैलाश वगै0

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि का प्रकरण संख्या 222/1996 की सिविल रिट पिटीशन संख्या 1116/2012 वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लंबित है। उक्त प्रकरण वादीगणों द्वारा आवश्यक जानकारी को छुपाते हुए माननीय अदालत में पेश किया है। इसी कारण वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। तथा वादीगण का दावा अंतर्गत धारा 188 में झूंठा शपथ पत्र पेश कर तथा न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। उक्त प्रकरण में रेजुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। वादीगणों के ऐसे गलत तथ्यों के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत खारिज योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 31.01.2022 के तहत उक्त उनवानी प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि पर तहसीलदार नदबई को रिसीवर नियुक्त किया गया है। माननीय न्यायालय आदेश दिनांक 31.01.2022 के संदर्भ में तहसीलदार नदबई को भी अवगत कराया गया है। उसके उपरान्त भी उक्त प्रकरण में तहसीलदार नदबई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। तहसीलदार नदबई द्वारा ऐसी लापरवाही न्यायालय के आदेश के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। तथा वादीगण को ऐसे गुमराह करने वाले प्रकरणों को प्रोत्साहित करता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2022 पर तहसीलदार [illegible] समय पर उचित आदेश प्रतिवादीगणों के प्रार्थना पत्र [illegible] प्रकरण पेश करने को विधिक भूल वादी नहीं करता है। वादी द्वारा [illegible] के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रिट की जानकारी [illegible] लंबित होने के बाद भी राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित रिट के तथ्यों को छुपाते हुए उक्त प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:53 IST
Reason: SelfAttested

पेश कर अदालत श्रीमान को गुमराह करने का प्रयास किया है जो किसी भी दृष्टि से विधिसंगत नहीं है। वादीगणों का उक्त प्रकरण में भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। गांव के बहुसंख्यक समुदाय ने गलत तरीके से सांठ गांठ कर प्रतिवादीगण से मंदिर सेवा पूजा छीनकर गलत नीयत में भगवान की आड लेकर प्रतिवादीगणों का भूमि से बेदखल किया है। प्रतिवादीगणों को उक्त प्रकरण में विवादित भूमि पर सन 2012 से खातेदार रहे हैं एवं कब्जाकाश्त रहा है। वर्तमान में सभी प्रकरणों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण 188 आरटीए खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र खण्ड स. 1 स्वीकार नहीं है क्योकि प्रकरण संख्या 222/1996 सिवील रिट पिटीसन संख्या 1116/2012 निरस्तारित हो चुका है। जिसमें प्रतिवादीगण प्रार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया है। और प्रार्थीगण ने मा.राज. उच्च न्यायालय में कोनसी तारीख पेशी नियत है वह भी अंकित नही किया है। वादीगण हाल जमांबदी पेश में खातेदार काश्तकार है जो 188 आर.टी.ए. में दावा पेश करने के हकदार है सिवील रिट पिटीशन स. 1116/2012 को मा. राज. उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने आर्डर दिनांक 18.02.2022 में निर्ण दिनांक 22.01.2022 को डबल बैंच स्पेशल अपील रिट नम्बर 388/22 रामस्वरूप बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू खारिज कर दिया गया है। डी.बी. सिविल स्पेशल अपील न0 388/2022 में सिंगल बैंच सिविल रिट पिटीशन न. 1116/2012 मृतक रामस्वरूप के वारियान ने मा. राज. उच्च न्यायालय जयपुर में अपील(रिट) 134 आफ राज. हाई कोर्ट रूल्स सपटित अनुच्छेद 225 भारतीय संविधान के तहत दिनांक 31.01.2022 के निर्णय के खिलाफ पेश कि जिसको मा. राज. हाईकोर्ट जयपुर ने दिनांक 18.02.2022 को बिना पक्षकार बनाये अपील खारिज कर दी इस प्रकार वर्तमान में प्रति. कैलाश वगै0 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज है। तहसीलदार नदबई द्वारा अपने जबाब में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर को प्रेषित वादीगण द्वारा ये अंकित किया है कि मेने प्रति. कैलाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:53 IST
Reason: SelfAttested

वगै0 को किसी प्रकार का कब्जा नही दिया है और ना हि मुझे रिसीवर का ज्ञान है। जैसा कि प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपने में तहसीलदार नदबई की आलोचना व लापरवाही को आरोप लगाया है लेकिन प्रतिवादीगण ने मा. राज. उच्च न्यायालय में उक्त मुकदामा की आगामी तारीख कौनसी है ऐसा कोई कुछ भी अंकित नही किया गया है। वादीगण हाल जमाबंन्दी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड खातेदार है जिसके वादीगण अधिपत्य अधीन है। जो दावा पेश करने का हक रखते है। मंन्दिर सेवा पूजा गलत नियत में भगवान की आड़ लेकर प्रतिवादीगण को भूमि से बेदखल किया है जिसका अर्थ है कि प्रार्थी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी भूमि से कोई सम्बध सरोकार नही है। इसके अलावा प्रार्थी प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में 31.01.2022 के आलावा कोई आदेश या आर्डर व अग्रिम कार्यवाही का दस्तावेजात पेश किया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावें

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत पेश किया गया है, वादीगण दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. एवं प्रार्थना पत्र 212 आर.टीए. के तहत पेश किया गया है। जिसमें वाद पत्र की मंद स. 2 में अंकित विवादित आराजी उक्त प्रकरण में विवादित भूमि का प्रकरण संख्या 222/1996 की सिविल रिट पिटीशन संख्या 1116/2012 वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लंबित है। जो कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से साबित है प्रकरण में वादीगणों द्वारा आवश्यक जानकारी को छुपाते हुए माननीय अदालत में पेश किया है। तथा [illegible] धारा 188 में झूंठा शपथ पत्र पेश कर तथा न्यायालय को [illegible] एक तरफा में स्थगन प्राप्त किया है इसके [illegible] भूमि से संबध वाद मुर्ति मंन्दिर श्री बिहारी बनाम रामस्वरूप वगै0 इसी न्यायालय तथ इसी आराजी बाबत चला जो दिनांक 30.06.2000 को निर्णय किया गया प्रार्थी/वादी द्वारा तथ्य को छुपाकर पुनः न्यायालय में वाद पेश किया है। एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:53 IST
Reason: SelfAttested

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश दिनांक 31.01.2022 के तहत उक्त उनवानी प्रकरण में वर्णित विवादित भूमि पर तहसीलदार नदबई को रिसीवर नियुक्त किया गया है। उक्त प्रकरण में रेजुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। वादीगणों के ऐसे गलत तथ्यों के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत खारिज योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत स्वीकार किया जाकर वाद वादिनी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.01.25 को सुनाया गया। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गंगाधर मीना)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:42:53 IST
Reason: SelfAttested